निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 268) पटना, शनिवार, 23 फरवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

23 फरवरी 2019

सं० एल०जी०–01–02 / 2019 / 1520 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनाक 23 फरवरी 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon, Ara

(बिहार अधिनियम 2, 2019)

## बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019

**प्रस्तावना**:–चूँकि संविधान (एक सौ तीनवाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा भारत संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 15 में खंड (6) एवं 16 में खंड (6) के अंतः स्थापन के अनुशरण में और राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, जो बिहार सरकार में पदों तथा सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान आरक्षण स्कीम के अधीन आच्छादित नहीं हैं, को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराना और;

बिहार सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्याधीन सेवाओं एवं पदों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए एक अधिनियम का प्रावधान करना आवश्यक एवं समीचीन है;

इसलिए अब भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह अधिनियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ।**– इस अधिनियम में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "**नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम पदाधिकारी**" से किसी स्थापना में सेवा या पद के संबंध में, अभिप्रेत है नियुक्ति करने हेतु सशक्त प्राधिकारी/कोई व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्थानों की दशा में नामांकन हेतु उत्तरदायी हो;

(ख) "**विहित**" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली द्वारा विहित और राजपत्र में प्रकाशित;

(ग) "**स्थापना**" से अभिप्रेत है, राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार,

(2) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम–6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगाई गयी हो और जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहायियकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता हो और

(3) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया हो या सहायता प्रदान करती हो, और

(4) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान;

(घ) "**सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना**" से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत/नियंत्रित या प्रबंधित हो :–

(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग,

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम–1, 1956) की धारा 617, में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गई हो;

(ङ) "**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**" से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेन्डम F.No.36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनांक 19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति; तथा जो भविष्य में समय–समय पर यथा संशोधित किया जाय;

(च) "**भर्त्ती वर्ष**" से अभिप्रेत है पंचांग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्त्ती/नामांकन की जानी हो;

(छ) "**आरक्षण**" से अभिप्रेत है बिहार राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण;

(ज) "**गुणागुण सूची**" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा नियुक्ति करने के लिए या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए लागू आदेशों के अनुसार गुणागुण क्रम से तैयार की गई व्यवस्थित उम्मीदवारों की सूची,

(झ) "राज्य" में सम्मिलित है बिहार राज्य की सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान;

3. **प्रयोज्यता (नियुक्ति करने के संबंध में)।– यह अधिनियम निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगा :–**

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;

(घ) जो स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हों;

(ङ) जो किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से रिक्त होता हो;

(च) 45 (पैंतालीस) से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्तियाँ;

(छ) सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति, और–

(ज) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे.

4. **सीधी भर्त्ती के लिए आरक्षण।–**

(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियों में, जो सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाने वाली हो, 10 प्रतिशत रिक्तियाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी।

परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नही करेंगे।

(2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी।

5. **शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण।–**

(1) पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी।

परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी।

(3) बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा दी गई आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा, समय–समय पर दी गई संशोधित आरक्षण प्रतिशत के सिवाय कोई अन्य आरक्षण नहीं दिया जायगा।

6. **अभिलेख मांगने की राज्य सरकार की शक्ति।–** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई सदस्य, जो नामांकन पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुपालन के चलते नामांकन प्रभारी पदाधिकारी के किसी कार्रवाई द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित होता है तो वह राज्य सरकार को इस तथ्य की सूचना दे सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर, राज्य सरकार, वैसे अभिलेखों को मंगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे।

7. **सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिये किसी कार्यवाही का वर्जन।–** कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित नहीं की जायेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या किये जाने के लिए आशायित हो।

8. **शास्ति।–** यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी या नामांकन प्रभारी पदाधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन में नियुक्ति/नामांकन करता है तो वह ऐसे जुर्माने से जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या ऐसे कारावास से जिसे तीन महीने तक बढाया जा सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

9. **कठिनाईयों का निराकरण।–** यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनिमय के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए, आवश्यक समझे।

10. **नियम बनाने की शक्ति।–** राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

परन्तु इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम

में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्ररूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।"

11. **विनिमय।**– यदि किसी भर्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवार आरक्षित कोटि से भरे जाने वाले इस अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हों तो बची हुई रिक्तियां/सीटें उसी समव्यवहार अथवा उसी भर्ती वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवारों से भरी जायेंगी।

12. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।**– तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों, किसी न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री या किया गया या निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात से होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रावधान अभिभावी होंगे:

परंतु तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि, नियम इस अधिनियम के पूर्व बने, निर्गत या पारित किया गया कोई आदेश या अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प जहाँ तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हों, लागू रहेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जितेन्द्र कुमार,**
**सरकार के विशेष सचिव।**

---

**23 फरवरी 2019**

स० एल०जी०–01–02/2019/1521 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2019 को अनुमत **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 2, 2019)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**जितेन्द्र कुमार,**
**सरकार के विशेष सचिव।**

## (Bihar Act 2, 2019)

## The Bihar Reservation in vacancies in posts and in services and in Admissions in the Educational Institutions (For Economically Weaker Sections) ACT, 2019.

## AN

## ACT

The Bihar Reservation in vacancies in posts and in services and in Admissions in the Educational Institutions (For Economically Weaker Sections) ACT, 2019.

**Preamble :-**

WHEREAS in-pursuance of insertion of Clause (6) and (6) in article 15 and 16 respectively of the Constitution of India vide the Constitution (One Hundred & Third Amendment) Act 2019, it has to be provided reservation on preferential basis to the Economically Weaker Sections (EWSs) of the State, who are not covered under the existing scheme of reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the socially and educationally backward classes to receive the benefit of reservation on a preferential basis in the posts and services in the Government of Bihar and admission in Educational Institutions;

AND whereas it has been decided by the Government of Bihar to provide 10% reservation to EWSs in posts and services in the Government of Bihar and in admissions in the Educational Institution, and

Whereas it is necessary and expedient to provide an Act for adequate representation of Economically Weaker Sections in posts, services under the State and in admissions in Educational Institutions;

Now, therefore, Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the 70th year of republic of India are follows : -

**1.** *Short title, extent and commencement.*— (1) The Bihar Reservation in Vacancies of Posts and Services and in Admissions in the Educational Institutions (for Economically Weaker Sections) Act, 2019.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

**2.** *Definitions- In this Act, unless the context otherwise requires* -

(a) *"Appointing authority/competent authority"* means in relation to services or posts in an establishment, an authority empowered to make appointment/a person who is responsible for admission in the case of educational institutions.

(b) *"Prescribed"* means prescribed by rules made under this Act and published in the Official Gazette ;

(c) *"Establishment"* means any office or departments of the state concerned with the appointment to the public service and post in connection with the affairs of the state and includes-

(1) A local or statutory authorities constituted under any state Act for the time being enforce, or

(2) a cooperative institution registered under the Bihar Co-operative society Act, 1935 (Act 6,1935) in which share is held by the State Government or which receives aid from the State Government in terms of loan, grant, subsidy etc. and

(3) Universities and colleges affiliated to the universities primary, secondary and High Schools and also other educational institutions which are owned or aided by the State Government, and

(4) an establishment in public sector.

(d) *"Establishment in public sector"* means any industry, trade, business or occupations owned, controlled or managed by –

(1) The State Government or any department of the State Government.

(2) A Government Company as defined in section 617 of the Company Act 1956 (Act, 1 of the 1956) or a corporation established by or under a Central or State Act, in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by the State Government.

(e) *"Economically Weaker Sections"* means a person belonging to Economically Weaker Section as defined in the office Memorandum F. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) dated 19.01.2019 of D.O.P.T., Ministry of Personnel and Public Grievances and Pension, Government of India and as may be amended in future from time to time accordingly.

(f) *"Recruitment year"* means the calendar year during which a recruitment/admission is actually to be made.

(g) *"Reservation"* means reservation for Economically Weaker Sections in vacancies of posts and services in the State of Bihar and in the admissions in educational institutions.

(h) *"Merit list"* means the list of candidates arranged in order of merit prepared according to the provisions of this Act and orders as may be applicable for making appointments or for admission in educational institutions.

(i) *"State"* includes the Government , the Legislature and Judiciary of the State of Bihar and all local or other authorities and all type of Educational Institutions within the State or under the control of the State Government.

**3.** *Applicability for making recruitments :- (1) This act shall not apply in a relation to* –

(a) Any employment under the Central Government.

(b) Any employment in Private Sector.

(c) Any employment in domestic services

(d) Those which are filled up by transfer or deputation.

(e) Those which fall vacant when a person goes on deputation.

(f) Temporary appointments of less than 45 days duration.

(g) Appointments made on compassionate ground on the death of a government servant while in service.

(h) Such other posts as the State Government may, from time to time, by order of specify.

**4.** *Reservation for direct recruitment:-*

(1) Ten percent of vacancies will be reserved for Economically Weaker Sections in all appointments to Services and Posts in an establishment which are to be filled up by direct recruitment.

The aforesaid reservation will be in addition to the provisions of reservation for other categories as have been provided for in other prevailing Acts in the State of Bihar.

Provided the candidates out of the State of Bihar shall not claim for benefits of reservation under this Act.

(2) A reserved category candidate who is selected on the basis of his merit shall be counted against the open merit category.

**5.** *Reservation for Admission in the Educational Institutions:-*

(1) Ten percent of seats will be reserved for Economically Weaker Sections for admission in any educational institution fully or partially aided by the state government.

The aforesaid reservation will be in addition to the provisions of reservation for other categories as have been provided for in other prevailing Acts in the State of Bihar.

Provided the candidates out of the State of Bihar shall not claim for benefits of reservation under this Act.

(2) A reserved category candidate who is selected on the basis of his merit shall be counted in open merit category.

(3) No other reservation shall be made except reservation percentage granted by the concerned educational institute and amended reservation percentage granted by them from time to time for the candidates from outside the state of Bihar.

**6.** *Power of State Government to call for records.*— Any member of the Economically Weaker Sections who is adversely affected by any act of an authority in-charge of admission on account of non-compliance of the provisions of this Act or the Rules made there under, may bring the fact to the notice of the State Government and upon application made by him, the State Government may call for such records or take such action thereon as it may deem fit.

**7.** *Bar to any proceeding for action taken in good faith.*— No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for any thing which is done or intended to be done in good faith under this Act.

**8.** *Penalty.*— If any appointing authority or in charge of admission makes an appointment or admission in contravention of any of the provision of this Act, he shall be punishable with such fine which may extend to one thousand rupees or such imprisonment for three months or both.

**9.** *Removal of difficulties.*— If any difficulty arises in given effect to the provisions of this Act, the State Government may take such steps or issue such orders not inconsistent with the provisions of this Act and as it may consider necessary for removing the difficulty.

**10.** *Power to make Rules.*—The State Government may make rules for carrying out purposes of this Act:

Provided that every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should

not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

**11.** *Exchange.*— If in any recruitment year or admission for a session candidates from Economically Weaker Sections are not available to the extent of the reservation percentage prescribed under this Act to be filled up by the reserved category, rest of the vacancies/seats shall be filled up by the candidates of open merit category in the same transaction or recruitment year.

**12.** *Overriding effect of the Act.*— Not withstanding any thing contrary in any other law and Rules for the time being in force any judgment or decree of a court, any order notification, circular, scheme, rule or resolution made or issued, the provision of this Act shall prevail.

Provided that any other law or rule for the time being in force, any order notification, circular, scheme resolution made, issued or passed prior to this Act, so far as it is not inconsistent with this Act, shall continue to be enforce and shall be deemed to have been made issued or passed under this Act.

By Order of the Governor of Bihar,
*Jitendra Kumar,*
*Special Secretary to the Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 268-571+400-डी0टी0पी0।
**Website:** http://egazette.bih.nic.in

# THE BIHAR (IN ADMISSION IN EDUCATIONAL, INSTITUTIONS) RESERVATION ACT, 2003

**[BIHAR ACT NO. 16 OF 2003]**

**Preamble** - To provide for adequate representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in Admission at all levels and in all kinds of educational Institutions such as General, Technical, Non-Technical, Commercial, etc. either fully or partially aided by the State Government.

**Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar the fifty fourth year of the Republic of India as follows:**

**1. Short title, extent and commencement** - (1)This Act may be called the **Bihar (In Admission in educational Institutions) Reservation Act, 2003.**

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

**2. Regulation of Reservation of admission** - (1) In any educational Institutions fully or partically aided by the State Government shall be regulated in the following manner name by :-

| | | |
|---|---|---|
| (a) From open merit category | .. | 50% |
| (b) From Reserved category | .. | 50% |

(2) The vacancies for different categories of reserved candidates from amongst the 50% reserved category, subject to other provisions of this Act shall be as follows:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | Scheduled Castes | .. | 16% |
| (b) | Scheduled Tribes | .. | 01% |
| (c) | Extremely Backward Classes | .. | 18% |
| (d) | Backward Classes | .. | 12% |
| (e) | Women of Backward Classes | .. | 3% |
| | Total | | 50% |

(3) Such reserved category candidate who is selected on the basis of his merit, shall be counted against 50% vacancies in the open merit category and not against the reserved category vacancies.

(4) Women of Backward Classes means women of all reserved classes and include's women of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Extremely Backward Classes and Backward Classes.

(5) No other reservation shall be made except reservation percentage granted by the concerned educational institute and amended of reservation percentage granted by them from time to time for the candidates out of Bihar.

(6) (a) After providing the opportunity for admission to the candidates having decending order of merit of Lower qualification as to marks obtained etc.fixed by the concerned educational Institutions, it the reservation percentage of any reserved category is not filled shall be regulated in the following manner:-

(i) Exchange shall be possible between the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(ii) Exchange shall be possible between the Extremely Backward Classes and Backward Classes.

(b) After having completed the procedure contained in clause (a) of sub-section (6) if the reservation percentage of any reserved category is not exhausted then candidates belonging to unreserved category shall be admitted against



such vacancy on duly declared it dereserved through the administrative deptt. during the session by the Administrative Department for the said session.

(c) In case of non-availiability of suitable candidates for the vacancies reserved for women of Backward classes, the vacancies shall be filled in order of preference as follows :-

(1) by the candidates of the Scheduled Castes.

(2) by the candidates of the Scheduled Tribes.

(3) by the candidates of the extremely backward classes.

(4) by the candidates of backward classes.

**3. Power of State Government to call for records** - Any member of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Extremely Backward Classes/Backward Classes/ Women of Backward Classes who is adversly affected by any Act of an authority in-charge of Admission on account of non-compliance of the provisions of this Act or the Rules made there under, may bring the fact to the notice of the State Government and upon application made by him the State Government may call for such records or take such action thereon as it may deem fit.

**4. Bar to any proceeding for action taken in good faith.** No suit prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for any thing which done or intended to be done in good faith under this Act.

**5. Penalty** - If any Authority in charge of Admission make an admission in contravention of any of the provision of this Act he shall be punishable with fine which may extend to one thousand Rupees or imprisonment for three months or both.

**6. Removal of difficulties** - If any difficulty arises in given effect to the provisions of this Act, the State Government may take such steps or issue such orders not in consistent with the provisions of this Act as it may consider necessary for removing the difficulty.

**7. Power to make Rule** - The State Government may make rules for carrying out purposes of this Act.

Provided that every Rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before expiry of the session in which is so laid of the session immediately following both the Houses agree in making any modification in the Rules or both the House agree with the rules should not be made, the Rules shall there after have effect only in such modified from or be of no effect as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done under that Rules.

**8. Over riding effect of the Act** - Not withstanding any thing contrary in any other law and Rules for the time being inforces, any judgement or decree of a court, any order notification, circular, Scheme, rule or resolution made or issued, the provision of this Act shall prevail.

Provided that any other law or rule for the time being in force, any order notification, circular Scheme resolution made, issued or passed prior to this Act, so far as it not be inconsistent with this Act, shall continue to be inforce and shall be deemed to have been made issued or passed under this Act.

**9. Repeal and saving** - (1) All order/Resolution/Circulars etc. related to this which are in consistent with this Act, shall be deemed to have been repleaded to that extent.

(2) Any thing done or any action taken under any order/Resolutions/Circular before the commencement of this Act shall be deemed to be done or taken under this Act as if it were applicable under this Act. •

Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon, Ara

# वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

अध्यक्ष, छात्र कल्याण

पत्रांक:- D.S.W/1008/Estab/17 दिनांक - 16/06/2017

सेवा में,

**प्रधानाचार्य/निदेशक**

सभी सम्बद्ध बी०एड्० महाविद्यालय

अन्तर्गत वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

**विषय:-बी०एड्० पाठ्य-क्रम में नामांकन, छात्र चयन-प्रक्रिया, छात्रों की पात्रता एवं शुल्क संरचना आदि से संबंधित।**

महाशय/महाशया,

निदेशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक D.S.W/992/Estab/17 दिनांक 15.06.2017 के क्रम में अंकित विषयक राजभवन सचिवालय, पटना, बिहार से प्राप्त Ordinance for Admission की प्रति आप के सुलभ संदर्भ एवं अनुपालनार्थ संलग्न की जा रही है।

2. सूचनानुसार बी०एड्० पाठ्य-क्रम के शैक्षणिक सत्र 2016-18 में कुछ महाविद्यालयों के स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नामांकन परीक्षा अथवा C.E.T. उत्तीर्ण अभ्यार्थियों से इतर कुछ अन्य अभ्यर्थियों का भी नामांकन किया गया है। ऐसा नामांकन राजभवन सचिवालय के पत्रांक - BSU-26/2017-1874/ GS(1) दिनांक 08.06.2017 द्वारा अवैध घोषित किया गया है।

अत: अनुरोध है कि ऊपर विन्दु - 1 के Ordinance का विशेषत: शुल्क के संदर्भ में शब्दश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं विन्दु (2) के श्रेणी के छात्रों का परीक्षा-प्रपत्र इस कार्यालय में अग्रसारित नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए व्यक्तिगत रूप से आप को जिम्मेदार माना जायेगा।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

संलग्नक:- यथा ऊपर।

Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon, Ara

16/06/17
अध्यक्ष, छात्र कल्याण
वीर कुँवर सिंह वि०वि०, आरा

1.12 In case of any controversy or irregularity pertaining to 2 year B.Ed. Course, the respective University shall take the final decision as per approved Ordinance and Regulations.

1.13 No such applicant shall be admitted, who in the opinion of Vice-Chancellor, does not deserve to be admitted in the best interest of the University. (specifying the ground for rejection).

## 2. Eligibility

2.1 The candidate with at least 50% marks either in the Bachelor's Degree and /or in the Master's Degree in Science/ Social Science/ Humanity/ Commerce, Bachelor's in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification/examination recognized by the Academic Council of respective University equivalent there to be eligible for admission to the programme.

2.2 No such applicant shall be admitted, who has not applied for the admission within notified time or who, on being selected for admission, does not get himself/herself admitted within specified time, except where the delay has been condoned by the Competent authority for some valid reason.

## 3. Intake

There shall be basic unit of 50 students, with a maximum of two units. This intake capacity may be modified as per norms and guidelines prescribed by NCTE time-to-time.

## 4. Fee

4.1 The fee structure for the two year B.Ed. course is recommended to be as follows :

| S. No | Fee Structure | Amount (in Rs.) |
|---|---|---|
| 01 | Admission including Registration Fee (One time) | 1,000.00 |
| 02 | Tuition Fee (Rs. 40,000/- ×2=80,000/- | 80,000.00 |
| 03 | Examination Fee (1,000×2) =2,000/- | 2,000.00 |
| 04 | Development Fee (One time) | 5,000.00 |
| 05 | Library Fee (One time) | 1,000.00 |



Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06 | Extra Curricular Activities (One time) | | 2,000.00 |
| 07 | Skill Development / Lab Charges (One time) | | 2,000.00 |
| 08 | Field Work/Educational tours (1000×2)=2,000/- | | 2,000.00 |
| | | **Total :** | **95,000.00** |
| The fee structure for Two Year B.Ed.Course thus stands as -1st year 53,000/- 2nd year 42,000/- | | | |

4.2 The above mentioned fee structure can only be changed/ revised with approval from the Hon'ble Chancellor.

04.08.2015

04.08.2015

4/8/15

04.08.15

**Principal**
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon, Ara

# ORDINANCE FOR ADMISSION

**Admission and Selection Procedure**

1.1 The selection of candidates for admission to the Bachelor of Education programme (B.Ed.) in Regular mode shall be made on the basis of merit obtained in B.Ed. Entrance Test conducted by the respective University on charge of approved Entrance Test fee of Rs. 1000/-

1.2 The Entrance Test fee may be revised by the competent authority as and when required.

1.3 Admission shall be made strictly in order of merit i.e. percentage of marks secured by the candidate at the B.Ed. Entrance Test held for the purpose.

1.4 Reservation of seats for the candidates of reserved categories shall be as per State Government's rules.

1.5 There of 3% seats will be reserved for Person With Disability (PWD) candidates i.e. Visually Impaired (1%), Hearing Impaired (1%) & Orthopedically Handicapped (1%). These 3% seats are within the intake limit. Percentage of disability will be taken into consideration at the time of selection. The 3% seats of PWD candidates shall be filled up within the seat limit fixed for that particular category to which the PWD candidates belong to.

1.6 Appearance in the Entrance Test is mandatory. The reserved category candidates shall have to submit a copy of the certificate mentioning that the candidate belongs to a particular reserved category from an officer not below the rank of S.D.M.

1.7 Joint B.Ed. Entrance Test will be conducted centrally by the University. Date of B.Ed. Entrance Test will be announced by the University and merit list will also be prepared by the University after evaluation of answer books.

Admission-merit list shall be prepared by the respective University; and seat allotment will be done through Counseling.

1.8 List of admitted students must be submitted to the University within one month after declaration of merit list.

1.9 Reservation of seats provided in the general ordinance for admission shall be applicable only when candidate fulfills the minimum requirements of clause-1.3.

1.10 After providing the opportunity for admission to the candidates having descending orders of merit of lower qualification up to the marks fixed by the respective University, if the reservation percentage of any reserved category is not filled up shall be exchanged as per State Govt. rules.

1.11 If at any time it is found that candidate has furnished any false information his/her candidature shall be cancelled immediately and the deposited fee shall be forfeited and suitable legal action may be initiated.

Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon, Ara

## शैक्षिक अर्हता
## (Educational Qualification)

1. नियमित शिक्षा पद्धति (Regular Education Mode) के बी०एड० कॉलेज में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता :–

(i) विज्ञान / सामाजिक–विज्ञान / मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पच्चास प्रतिशत) अंकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि अथवा बी०ई० एवं बी०टेक० में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिये न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंकों के साथ अथवा उपर्युक्त के समतुल्य कोई अन्य अहर्ता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु योग्य हैं ।

Candidates with at least 50% marks either in the Bachelor's Degree (10+2+3) and/ or Master's Degree in Science/Social Science/Humanity, Bachelors in Engineering/ Technology with specialisation in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the B.Ed. programme.

(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / निःशक्तजन / पिछड़े वर्ग की महिलाएँ और अन्य श्रेणियाँ के लिए योग्यता अंकों में छूट और सीटों में आरक्षण बिहार सरकार के नियमों के अनुसार होंगी । (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए चयन परीक्षण में भाग लेने हेतु योग्यता अंकों में 5% छूट ।)

The reservation in seats and relaxation in the qualifying marks for SC/ST/ BC/EBC/WBC/Differently abled and other categories shall be as per the rules of Government of Bihar. (5% relaxation in qualifying marks for appearing in selection test for researved category.)

(iii) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री (बी०एड०) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य नियम :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बी०ए० (संस्कृत मुख्य विषय के रूप में) या तत्सम परम्परागत परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा संस्था द्वारा न्यूनतम 50% प्राप्तांक सहित शास्त्री बी०ए० (संस्कृत सहित) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ आचार्य (प्रथम वर्ष) एम०ए० (संस्कृत) प्रथम वर्ष / हेतु परीक्षा (वृज कोर्स) पास करनी होगी । प्रतिशत निर्धारण में आचार्य प्रथम वर्ष या एम०ए० प्रथम वर्ष के अंक सहायक नहीं होंगे ।

Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon, Ara

# आरक्षण
# (Reservation)

1. **ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)** : बी०एड० (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC) एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं (WBC) के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 16 प्रतिशत, 01 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देया होगा ।

2. **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)** : शारीरिक रूप से दिव्यांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग/दृष्टिहीन) अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 04 प्रतिशत आरक्षण देय होगा । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा ।

3. **आरक्षण/आरक्षण कोटि/आरक्षण नीति :**

3.1 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2018 के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं सीट आवंटन निमित्त बिहार सरकार द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा करने की प्रक्रिया आरम्भ करन की तिथि तक निर्धारित/लागू किये गये आरक्षण सम्बन्धी नियमों/नीतियों का पालन किया जायेगा ।

3.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिए उचित जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त हो, उनके लिए प्रत्येक संस्थान की शाखावार सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन–पत्र ऑनलाईन जमा करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटिओं के लिए आरक्षण निम्नवत है :–

| *क्र० सं०* | *कोटि* | *आरक्षित सीटों का प्रतिशत* |
|---|---|---|
| (i) | अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC) | 16% |
| (ii) | अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST) | 1% |
| (iii) | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC) | 18% |
| (iv) | पिछड़ा वर्ग (Backward Class) | 12% |
| (v) | आरक्षित वर्ग की महिलाएँ (Reserved Category Girls : RCG or WBC) | 3% |
| शेष 50% अनारक्षित सीटें अनारक्षित (खुली गुणागुण) कोटि (Unreserved) समझी जायेगी । | | UR |

3.3 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटिओं के लिए कर्णांकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता पात्र प्राप्त नहीं होंगे ।

3.4 आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत SC/ST/BC/EBC/WBC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेत कोटि निर्धारित की जायेगी ।

Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon, Ara

## शैक्षिक अर्हता
## (Educational Qualification)

नियमित शिक्षा पद्धति (Regular Education Mode) के बी०एड० कॉलेज में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता :–

(i) विज्ञान / सामाजिक–विज्ञान / मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि अथवा बी०ई० एवं बी०टेक० में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिये न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंकों के साथ अथवा उपर्युक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु योग्य हैं ।

Candidates with at least 50% marks either in the Bachelor's Degree (10+2+3) and/ or Master's Degree in Science/Social Science/Humanity, Bachelors in Engineering/ Technology with specialisation in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the B.Ed. programme.

(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / निःशक्तजन / पिछड़े वर्ग की महिलाएँ और अन्य श्रेणियाँ के लिए योग्यता अंकों में छूट और सीटों में आरक्षण बिहार सरकार के नियमों के अनुसार होंगी ।

The reservation in seats and relaxation in the qualifying marks for SC/ST/ BC/EBC/WBC/Differently abled and other categories shall be as per the rules of Government of Bihar.

(iii) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री (बी०एड०) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य नियम :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बी०ए० (संस्कृत मुख्य विषय के रूप में) या तत्सम परम्परागत परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा संस्था द्वारा न्यूनतम 50% प्राप्तांक सहित शास्त्री बी०ए० (संस्कृत सहित) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ आचार्य (प्रथम वर्ष) एम०ए० (संस्कृत) प्रथम वर्ष / हेतु परीक्षा (वृज कोर्स) पास करनी होगी । प्रतिशत निर्धारण में आचार्य प्रथम वर्ष या एम०ए० प्रथम वर्ष के अंक सहायक नहीं होंगे ।



Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon, Ara

# आरक्षण
## (Reservation)

1. ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) : बी०एड० (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों (SC) अनुसूचित जनजातियों (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC) एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं (WBC) के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 16 प्रतिशत, 01 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा ।

2. क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) : शारीरिक रूप से दिव्यांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग/दृष्टिहीन) अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा । सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा ।

3. आरक्षण/आरक्षण कोटि/आरक्षण नीति :

3.1 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2019 (CET-BED-2019) के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं सीट आवंटन निमित्त आयोजित परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित/लागू किये गये आरक्षण सम्बन्धी नियमों/नीतियों का पालन किया जायेगा ।

3.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिए उचित जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त हो, उनके लिए either fully or partially aided by the State Government के प्रत्येक संस्थानों की शाखावार सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन–पत्र ऑनलाईन जमा करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटिओं के लिए आरक्षण निम्नवत है –

| क्र० सं० | कोटि | आरक्षित सीटों का प्रतिशत |
|---|---|---|
| (i) | अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC) | 16% |
| (ii) | अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST) | 1% |
| (iii) | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC) | 18% |
| (iv) | पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC) | 12% |
| (v) | आरक्षित वर्ग की महिलाएँ (Reserved Category Girls : RCG or WBC) | 3% |
| शेष 50% अनारक्षित सीटें अनारक्षित (खुला गुणागुण) कोटि (Unreserved) समझी जायेगी । | | UR |

3.3 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटिओं के लिए कल्पित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता पात्र प्राप्त नहीं होंगे ।

3.4 आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत SC/ST/BC/EBC/WBC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि निर्धारित की जायेगी ।



Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon, Ara

7 यदि आप Allotted College से सहमत है तो आप Accepted को क्लिक करेगें। Acceptance के बाद आप को बी. एड. के प्रवेश शुल्क Admission Fee का part Rs-4000 (पूर्णत सरकारी महाविद्यालयों के लिए) Rs 25,000 (अन्य महाविद्यालयों के लिए) Online जमा करना होगा। Course Fee की शेष राशि आपको Allotted महाविद्यालय में जमा करना होगा।

8 यदि आप Allotted College में Admission नहीं लेना चाहते हैं तो deny को click करें। और आप अगले Conselling में भाग ले सकते हैं। अगले Counselling में आपको दोबारा Counsilling fee नहीं देना होगा।

9 अगले Counselling में फिर से आपको उपरोक्त प्रकिया को दोहराना होगा।

10 प्रत्येक Counselling चक्र में उतने ही अभ्यर्थी Online Counselling करा पाएंगे जितनी सीटें रिक्त रहेगी।

11 यदि Online Counselling के चक्र पूरे हो जाने के बाद भी सीटें बच जाती है तो Spot Round Counselling करवाए जाएंगें, जिसमें सफल अभ्यर्थियों का First Come, First Serve के आधार पर जिन महाविद्यालयों में सीट बची रहेगी उनके लिए Counselling की जाएगी।

12 Counselling के schedule tentative (संभावित) हैं। उसमें बदलाव हो सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी www.bihar-cetbed-lnmu.in तथा www.lnmu.ac.in पर समय-समय पर सूचनाओं को देखते रहेंगे।

13 जिस Round की Counselling में भी seat भर जाएगी तो फिर आग की Counselling नही की जाएगी।

## आरक्षण (Reservation)

1. ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) : बी०एड० (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC), पिछड़े वर्गों की महिलाओं (WBC) के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमश: 16 प्रतिशत, 01 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत , 3 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से पिछड़े (EWS) 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा।
2. क्षतिज आरक्षण (Horizontal Reservation): शारीरिक रूप से दिव्यांग न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग/दृष्टिहीन) अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटो का 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा ।
3. आरक्षण/आरक्षण कोटि/आरक्षण नीति :
   - 3.1 बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियागिता परीक्षा-2020 (CET-BED-2020) के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं सीट आवंटन निमित्त आयोजित परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा करने की प्रक्रिया आरंम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित/लागू किये गये आरक्षण सम्बन्धी नियमो/नीतियों का पालन किया जायगा।
   - 3.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हो और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिए उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिए either fully or partially aided by the State Government के प्रत्येक संस्थानों की शाखावार सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन-पत्र ऑनलाईन जमा करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटिओं के लिए आरक्षण निम्नवत है-

| क्र० स० | कोटि | आरक्षित सीटों का प्रतिशत |
|---|---|---|
| (i) | अनुसूचित जाति (Scheduled Caste: SC) | 16% |
| (ii) | अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe: ST) | 1% |
| (iii) | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class: EBC) | 18% |
| (iv) | पिछड़ा वर्ग (Backward Class: BC) | 12% |
| (v) | आरक्षित वर्ग की महिलाएँ (Reserved Category Girls: RCG or WBC) | 3% |

CET-BED:2020



Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon, Ara

| | | |
|---|---|---|
| (vi) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियो के लिए (EWS) | 10% |
| नोट | अनारक्षित सीटें अनारक्षित (खुली गुणागुण) कोटि (Unreserved) समझी जायेगी । | UR |

3.3 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटिओं के लिए कर्णाकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार **पात्रता पात्र प्राप्त नहीं होगे।**

3.4 आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने हेतु प्रक्रिया प्रारंम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत SC/ST/BC/EBC/WBC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि निर्धारित की जायेगी ।

3.5 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर अनारक्षित (खुली गुणा ) कोटी की मेधा सूची मे स्थान प्रापप्त करते रहै। उन्हे अनारक्षित खुली गुणा गुण कोटी में मनोकुल पाठ्क्रम /संथान प्राप्त होने पर, बे तर विकलप के लिए अपने सम्बधित आरक्षण की कोटि की मेरिट पर पाठ्क्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सके।

4. दिव्यांग (Quota for Differently Abled) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें:

4.1 दिव्यांगो के लिए सभी संस्थानो में कुल निर्धारित सीटों की 5% सीटे दिव्यांग कोटा के लिए आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होगी । इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश काउंसलिंग/साक्षात्कार के लिए आवेदन–पत्र विक्रय प्रारम्भ करने की तिथि तक जारी करती है तबउसी आदेश के अनुरूप दव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण प्रावधान लागू होगा ।

4.2 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी ऑनलाईन फार्म भरते समय अपने आवेदन मे निर्धारित स्थान पर अपना दावा करेंगे।दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र काउंसलिग के समय प्रस्तुत करेंगे। इस प्रमाण–पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साइज का फोटो चिपका होना चाहिए, इस प्रमाण–पत्र में दिव्यांगता की कोटि, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के स्थायी होने अथवा दिव्यांगता के घटन–बढ़ने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र कब तक के लिए मान्य है की अवधि/तिथि का उल्लेख होना चाहिए ।

4.3 दिव्यांग कोटि के वैसे अभ्यर्थी Permanent Loss of Limbs या Cerebral Palsy के प्रभावित होने के कारण स्वयं लिखने मे सक्षम नहीं है और उनके पास इस आशय का प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध है, उन्हें ऑनलाईन आवेदन करते समय यथा स्थान श्रुति लेखक उपलब्ध कराने का अनुरोध करना आवश्यक होगा ।

4.4 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा सह विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदन उन्हीं पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जिसके लिए स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित अज्ञानता के अनरूप दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन मे बाधक नहीं होगी । डॉक्टरी जाँच मे योग्य पाए जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा ।

नोट :-यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/अत्यन्त पिछड़े वर्ग/पिछडे वर्गों की महिलाएँ श्रेणी के अभ्यर्थियों की किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये मेधा के आधार पर दूसरी सूची जारी की जायेगी ।

5. केवल बिहार में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला के समुदाय का लाभ अनुमान्य है । आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पिता के नाम के साथ ही होना मान्य होगा। विवाहिता महिला अभ्यर्थियों के पति के नाम पर निर्गत जाति एव आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teacher Training College
Harigaon, Ara

CET-BED:2020

6. सैनिक कर्मचारी कोटा (Service Men's Quota, i.e., SMQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें

6.1 बिहार राज्य निवासी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों /अविवाहित पुत्रियों के लिए कुछ सीटों आरक्षित (Service Men's Quota) है, जिनका विवरण साक्षात्कार के समय दिया जायेगा ।

नोट:– सैनिक कर्मचारी कोटा के आरक्षित सीटों पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1647, दिनांक 08.06.2010 के अनुसार नामांकन हेतु सीट आवंटन किया जायगा।

6.2 इन SMQ सीटों पर नामांकन बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रो तथा अविवाहित पुत्रियों को दी जायेगी। इन SMQ की सीटों के लिए योग्य पाये गये आवेदकों द्वारा बी०एड०संयूक्त प्रवेश परीक्षा–2020 में प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जायेगा ।

इन SMQ की आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ ही संबधित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा उनके लिए SMQ संवर्ग के अन्तर्गत नामांकन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । किसी भी हालत में बाद में प्रस्तुत SMQ सम्बन्धित प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6.3 सेवारत/भूतपूर्व/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी के पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियों को निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन के समय प्रस्तुत करना आदेशात्मक (Mandatory) है।

(i) कार्यरत सैनिक कर्मचारी के मामलो में, उनके सैनिक होने तथा आवेदक के उनके पुत्र/पुत्री होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत ।

(ii) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा आवेदक के उनके पुत्र/पुत्री होने से सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, उनके सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत।

6.4 भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex.-Service Men)कौनहै?

(i) An Ex-Service Man is a person who has served in any rank(whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Militia are also now treated as Ex-Service Men.

(iii) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as Ex-Service Men by the Ministry of Defence. The Categories are :-

(a) Pension Holders of the continuous embodied service.
(b) Disabled Territorial Army personnel with disability attributed to Military Service.
(c) Family Pension Holders.
(d) Gallantry Award Winners.

Principal
Tarkeshwar Narain Agrawal
Teachers' Training College
Harigaon

CET-BED:2020